प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 336/2018

निर्णय सुरक्षित किया गया: 21.07.2025

निर्णय पारित किया गया :13.10.2025

सुरेश कुमार चौहान पिता स्वर्गीय लालबहादुर सिंह चौहान 82 वर्ष वर्तमान निवास गाँव सराय गोइंद्रई, जिला प्रतापगढ़ यू. पी. वर्तमान पता मोतीपारा, दुर्ग के मालिक एस. के. स्टील मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, डी. ई. रोड, दुर्ग छत्तीसगढ़, जिलाःदुर्ग, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा, भोपाल इकाई–रायपुर (वर्तमान में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषमुक्ति अपील संख्या 797/2024

छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा, भोपाल, रायपुर जिला की इकाई के माध्यम से रायपुर (सी. जी.)

---अपीलार्थी

बनाम

1. ए.के. भरदिया (मृतक) पिता दामोदर सिंह भरदिया निल पी.के. श्रीवास्तव पुत्र जानकी प्रसाद श्रीवास्तव उम्र लगभग 40 वर्ष तत्कालीन एस.डी.ओ. बायीं नहर उप प्रभाग क्रमांक 2 (157), रामपुर, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

2. आनंद कुमार श्रीवास्तव पिता रामलाल श्रीवास्तव ग 44 वर्ष तत्कालीन एस. डी. ओ. हसदेव नहर प्रभाग संख्या 1, रामपुर, कोरबा (सी. जी.)

3. सुरेश कुमार चौहान पिता स्वर्गीय लालबहादुर सिंह चौहान 60 वर्ष निवासी सरयगोविंदराई, जिला प्रतापगढ़ (ऊपर), वर्तमान पता–मोतीपारा, दुर्ग, प्रोप.एस. के. स्टील मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, जी. ई. रोड, दुर्ग, जिला दुर्ग (सी. जी)

----उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 1539/2019

टी. जे. थॉमस पिता स्वर्गीय जॉन थॉमस 84 वर्ष तत्कालीन एसडीओ, हसदेव कैनाल डिवीजन नंबर 1, रामपुर कोरबा, वर्तमान में शांति नगर, अमेरी रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, राज्य आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो के द्वारा, भोपाल, इकाई रायपुर (मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 345/2018

मृत (आनंद कुमार श्रीवास्तव) माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25/06/2021, जिला के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी के द्वारा,जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1.1 – श्रीमती विमला श्रीवास्तव, पति स्वर्गीय श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव , उम्र लगभग 64 वर्ष, स्थायी पता: एम.आई.जी.–33, ब्लॉक नंबर 2, जवाहर चौक, सरस्वती नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।

2 – राहुल श्रीवास्तव,पिता स्वर्गीय आनंद कुमार श्रीवास्तव , उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 503, बी–2, बिल्डिंग विंडसर अरलिया, कोलार रोड, नयापुरा, भोपाल (मध्य प्रदेश)

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य–राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भोपाल के द्वारा , इकाई–रायपुर, (मध्य प्रदेश वर्तमान में छत्तीसगढ़) अब छत्तीसगढ़।जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 347/2018

पी.के. श्रीवास्तव पिता जानकी प्रसाद श्रीवास्तव उम्र लगभग 59 वर्ष तत्कालीन एस.डी.ओ. बायीं तत् अनुविभाग क्र. 02 (157) रामपुर, कोरबा, जिला–कोरबा, छत्तीसगढ़।जिला :कोरबा, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा– राज्य आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो, भोपाल इकाई – रायपुर (वर्तमान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़), जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु	श्री अनिल खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री प्रियांक अग्रवाल और डॉ. शिव कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता, सीआरए संख्या 347/2018
अपीलार्थी हेतु	सुश्री फौजिया मिर्जा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अली अफजल मिर्जा, अधिवक्ता के साथ, सीआरए संख्या 336/2018 में।
अपीलार्थी हेतु	श्री अरविंद श्रीवास्तव, श्री मनीष निगम और श्री प्रसून अग्रवाल, अधिवक्ता, सीआरए संख्या 345/2018 और सीआरए संख्या 1539/2019 के प्रकरणो में।
उत्तरवादी हेतु	राज्य मे दोषमुक्तिअपील संख्या 797/2024 मे श्री नीरज शर्मा, उप महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास,न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

1. चूँकि समस्त आपराधिक अपील तथा दोषमुक्ति अपील एक ही एफ. आई. आर. तथा एक ही निर्णय से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनकी सुनवाई समान रूप से की जाती है तथा इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है

2. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत), कोरबा (सीजी) द्वारा विशेष आपराधिक (पी.सी. अधिनियम) संख्या 06/2007 में दिनांक 22.02.2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ताओं/आरोपियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के तहत आपराधिक अपीलें दायर की गई हैं, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को निम्नलिखित तरीके से दोषी ठहराया गया है और दंड पारित किया गया है:---

दोषसिद्धि	दंड
आईपीसी की धारा 120–बी के तहत	एक वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
आईपीसी की धारा 420 के तहत	4 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर चार महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

3. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रकरण के उत्पन्न होने के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी पी.एस. पिंजानी, राज हाइड्रो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी, बेरेशिया रोड, भोपाल के स्वामी ने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल के समक्ष लिखित परिवाद दर्ज कराई और उसके आधार पर निरीक्षक एच.एन. गुरु द्वारा परिवाद प्रकरण संख्या 76/1990 दर्ज किया गया। परिवाद के आधार पर अपराध संख्या 28/91 वाली एफआईआर (एक्स पी/–89) दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कार्यकारी अभियंता हसदेव नहर प्रभाग संख्या 1, रामपुर, कोरबा ने एसके स्टील एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज दुर्ग से खरीदे गए स्लुइस गेट और शटर आईएसआई मानकों के ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार नहीं थे और उनके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री निम्न स्तर की थी, जिससे राज्य के खजाने को 24 लाख रुपये का नुकसान हुआ।अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि अन्वेषण के दौरान, लोक स्वास्थ्य विभाग के सहायक अभियंता ने जांच की, जिसमें उन्होंने पाया कि अपीलकर्ताओं ने विषय विशेषज्ञ होने के बावजूद, एसके स्टील एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज से घटिया और निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री खरीदी, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया, साजिश रची और राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया, अतः उन्होंने अपराध किया है।अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आरोपपत्र संख्या 20/99 में उल्लिखित आरोपपत्र के अनुसार, अभियोजन पक्ष का प्रकरण इस प्रकार है:–––

(क) आरोपी ए.के. भदुरिया के खिलाफ आरोप है कि वह कोरबा जिले के रामपुर स्थित हसदेव नहर प्रभाग संख्या 1 में कार्यकारी अभियंता के रूप में कार्यरत थे और 1988–1990 के दौरान उन्होंने लघु उद्योग निगम के माध्यम से एस.के. स्टील एंड मैकेनिकल इंडस्ट्री को उसके मालिक एस.के. चौहान के माध्यम से 19 और 28 नंबर में 3.5x 3.5x 2.55x 2.55, 3.00x 3.5 और 2.75x 5.55 मीटर स्लज गेट की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश जारी किया था।आरोप पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि गेट का वास्तविक मूल्य 34,21,799 रुपये और करी शटर का मूल्य 36,50,470 रुपये था, लेकिन गेट घटिया गुणवत्ता के पाए गए केंद्रीय यांत्रिकी निदेशक, भोपाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि 3x3.5 शटर वाले गेट के आकार के अनुसार, आईएसआई मानक के अनुसार स्कीम प्लेट 14 मिमी की नहीं थी।इसी प्रकार, क्षैतिज गैडर आईएमएमसी 200 का था, जबकि आईएसआई मानक के अनुसार यह 225 का होना चाहिए था, और रोलर पिन सीएस सॉलिड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं था, जबकि यह सीआई था। होस्टिंग उपकरण 10 किलोग्राम का नहीं बल्कि 22 किलोग्राम का था। इस प्रकार, ये सभी वस्तुएं आईएसआई क्रमांक 4622/5620 के मानक के अनुरूप नहीं थीं।

(ख) केंद्रीय यांत्रिक इकाई की रिपोर्ट के अनुसार, फर्म द्वारा 2.75 x 5.5 मीटर आकार के गेट के संबंध में प्रस्तुत डिजाइन को भोपाल के मौलाहा आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय को प्रस्तुत किया गया था। उस महाविद्यालय के यांत्रिक विभाग ने, जिसमें उस महाविद्यालय के विशेषज्ञ डॉ. पी.एन. जनार्दन और डॉ. जे.के. जैन शामिल थे, अपनी राय दी कि डिजाइन नियमों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था और गेट के आकार में 18 मिमी की स्किन प्लेट का उल्लेख होना चाहिए था, जो डिजाइन में प्रदान नहीं की गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यकारी अभियंता द्वारा जारी कार्य आदेश आईएसआई मानक संख्या 4622 और 5622 के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, फर्म द्वारा निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति की गई और फर्म को 5610 रुपये प्रति वर्ग मीटर की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।(ग) अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि शटर का वास्तविक मूल्य 12,24,300 रुपये था, जबकि उन्होंने 24,25,700 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया, जिससे सरकार को आर्थिक हानि हुई। अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि सह–आरोपी ए.के. भारदिया (मृत), कार्यकारी अभियंता, हसदेव नहर प्रभाग संख्या 1, ने उप–मंडल अधिकारियों ए.के. श्रीवास्तव, पी.के. श्रीवास्तव और टी.जे. थॉमस के साथ आपराधिक षड़यंत्र रची, इसलिए उन्होंने आईपीसी की धारा 120–बी और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(i)(d)(ii)(iii) के साथ धारा 13(2) के तहत अपराध किया है।प्रकरण के अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक आरोपी टी. पी. तिवारी की उम्र आरोप पत्र जमा करने से पहले ही समाप्त हो चुकी है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. सामान्य अन्वेषण पश्चात् , प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम, कोरबा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसे विशेष आपराधिक प्रकरण संख्या 06/2007 के रूप में पंजीकृत किया गया था।अपीलकर्ताओं के अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 34 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें वी.के. उपाध्याय (पीडब्ल्यू–1), शत्रुघ्न दास (पीडब्ल्यू–2), आर.के. ठाकुर (पीडब्ल्यू–3), राजेंद्र भार्गव (पीडब्ल्यू–4), राजेश कुमार दिवाकर, वी.एस. लामंकर (पीडब्ल्यू–6), ओ.पी. तिवारी (पीडब्ल्यू–7), आर.एन. श्याम (पीडब्ल्यू–8), ए.एस.दास (पीडब्ल्यू–9), पी.के. केरकट्टा (पीडब्ल्यू–10) , डॉ. पी. एन. जनार्दन (पीडब्लू–11), डॉ. आर. डी. वैद (पीडब्लू–12), पी. एस., पिंजानी (पीडब्लू–13), डी. एन. खरे (पीडब्लू–14), विवेक झानवार (पीडब्लू–15), बसंत कुमार तिवारी (पीडब्लू–16), दिनेश कुमार जुंदारे (पीडब्लू–17), ए. आर. खान (पीडब्लू–18), एच. एन. गुरु (पीडब्लू–19), मदाहिर हुसैन काजी (पीडब्लू–20), बाबूलाल धीमर (पीडब्लू)), टी. आर. टंडन (पीडब्लू–22), आर. के. गंजीर (पीडब्लू–23), शांति कुमार गेबेल (पीडब्लू–24), आर. एस. राय (पीडब्लू–25), दिनेश वर्मा (पीडब्लू–26), एम. एल. दहारिया (पीडब्लू–27), आनंद राय साहू (पीडब्लू–27 (ए), चंद्र कुमार (पीडब्लू–28), राम प्रसाद (पीडब्लू–29), अजीत कुमार तम्हाड (पीडब्लू–30), विवेक मधुखर

मोहिंदीवाले (पीडब्लू–31),और एस.सी. भासनेतिया (पीडब्ल्यू–32), के.के. चौरे (पीडब्ल्यू–33), पी.के. मिश्रा (पीडब्ल्यू–34) ने दस्तावेज प्रदर्शित किए, जिनमें दिनांक 21.02.1999 का पत्र (एक्स पी/ –1), ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –2 से एक्स पी/ –8), माप पुस्तिका (एक्स पी/ 8ए), मेसर्स एस.के. स्टील मैकेनिकल इंडस्ट्रीज की पत्राचार फाइल (एक्स पी/ –8(बी), ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –9), चालान (एक्स पी/ –9(A) से एक्स पी/ –9(जी), स्लुइस गेट के बारे में पत्राचार (एक्स पी/ 10) , गेट के आकार का ड्राइंग तथा डिज़ाइन (एक्स पी/–11), आकार गेट का ड्राइंग तथा डिज़ाइन (एक्स पी/–12), जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/–13 से एक्स पी/–14), स्टॉक तथा जारी रजिस्टर (एक्स पी/–15 तथा एक्स पी/–16), आपूर्ति आदेश (एक्स पी/–8)17 से एक्स पी/ 35), मापन आरेख (एक्स पी/ –36), दिनांक 05.01.1999 का पत्र (एक्स पी/ –37), रिपोर्ट (एक्स पी/ –38), पंचनामा (एक्स पी/ –39), ज़ब्ती पंचनामा (एक्स पी/ –40), पंचनामा (एक्स पी/ –41), मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल द्वारा डिजाइन के दो सेटों की तुलना रिपोर्ट (एक्स पी/ –42), मध्य प्रदेश लघु उद्योग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (एक्स पी/ –43), पुलिस स्टेशन द्वारा की गई शिकायत। पिंजानी (एक्स पी/ –44), स्लुइस गेट के बारे में जानकारी (एक्स पी/ –45), स्लुइस गेट की आपूर्ति का आदेश (एक्स पी/ –46), हसदेव नहर डिवीजन नंबर 1 का आपूर्ति आदेश (एक्स पी/ –47 से एक्स पी/–65), मांग पत्र (एक्स पी/ –66 से एक्स पी/ –85), ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –86), ज़ब्त पंचनामा (एक्स पी/–87), ज़ब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –88), एफ.आई.आर.(एक्स पी/ –89), सामग्री की डिलीवरी के लिए चालान (एक्स पी/ –89 A से एक्स पी/ –89), जांच रिपोर्ट (एक्स पी/ –90), स्लुइस गेट के बारे में रिपोर्ट एक्स पी/–90((ए), पत्र (एक्स पी/ –90), चित्र और डिज़ाइन (एक्स पी–90(A), परीक्षण परिणाम (एक्स पी–90(ए), अभियोजन के लिए स्वीकृति दिनांक 14.07.1998 (एक्स पी–91), सहायक उप निदेशक को पत्र निरीक्षक (एक्स पी–91), आपूर्ति आदेश (एक्स पी–91), अभियोजन आदेश (एक्स पी–91(ए)), कार्यकारी अभियंता द्वारा जारी आपूर्ति आदेश (एक्स पी –92), एच. एन. काज़ी द्वारा लिखित पत्र (एक्स पी–93), मूल आदेश 98) तथा आरोप पत्र (एक्स पी–99) शामिल है।अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता तथा मामले में झूठे फंसाए जाने का दावा किया।अभियुक्तों ने दस्तावेज पेश किए हैं, जिनमें हसदेव बंगो परियोजना की प्रमाणित प्रति (एक्स डी.–1) और अभियोजन पक्ष के गवाह एस.सी. जैन का धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान (एक्स डी–3) शामिल हैं।

5. पक्षकारों को सुनने पश्चात् , विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषमुक्त कर दिया है और उन्हें आईपीसी की धारा 420 और 120–बी के तहत दोषी ठहराते हुए उपरोक्त दंड पारित किया गया है।दोषसिद्धि और दंड से असंतुष्ट होकर, आरोपियों ने ये अपीलें दायर की हैं और छत्तीसगढ़ राज्य ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को बरी किए जाने के विरुद्ध दोषमुक्ति करने की अपील दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं 347/2018

6. अपीलार्थी पी. के. श्रीवास्तव के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते है :--

(क) कि अपीलकर्ता ने अपराध करने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है, क्योंकि वह 16.06.1898 को हसदेव उपमंडल-2 में उपमंडल अधिकारी के रूप में तैनात था और स्लुइस गेट और शटर की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश मेसर्स एस.के. स्टील एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, दुर्ग को 20.01.1989 को जारी किए गए थे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि परिवाद से यह स्पष्ट है कि आपूर्ति आदेश अपीलकर्ता की तैनाती से पहले जारी किया गया था और शटर/गेट प्राप्त करने वाला व्यक्ति वह नहीं था और न ही उसने उन्हें अपने कब्जे में रखा था, हालांकि आरोप पत्र में अपीलकर्ता को आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जो विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के विपरीत है।उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को केवल अनुमानों और अटकलों के आधार पर दोषी ठहराया है, जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उसने कथित घटिया सामग्री की आपूर्ति में कोई भूमिका निभाई थी। अभियोजन पक्ष ने भी अपीलकर्ता की कथित अपराध में संलिप्तता दर्शाने वाला कोई ड्यूटी चार्ट प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता की ओर से कर्तव्य में कोई लापरवाही हुई है।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने उप-इंजीनियर आर.के. ठाकुर (गवाह-3) के साक्ष्य का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि आपूर्तिकर्ता से सामग्री प्राप्त होने पर उसे भंडार में रखना उनका कर्तव्य था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने न तो आपूर्ति आदेश दिया था और न ही एस.के. स्टील्स मैकेनिकल इंडस्ट्रीज से उत्पाद प्राप्त किए थे, अतः अपीलकर्ता पर कोई दायित्व नहीं बनता। अतः, निचली अदालत द्वारा दिया गया दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि एफआईआर और यहां तक कि आरोपपत्र को भी सरसरी तौर पर पढ़ने और आरोपों को उनके मूल रूप में लेने पर, आईपीसी की धारा 420 के तहत अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी का शुरू से ही धोखाधड़ी करने या बेईमानी करने का आशय था।वर्तमान मामले में, सह-आरोपी ए.के. भारदिया की मांग पर मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा एस.के. स्टील मैकेनिकल इंडस्ट्रीज को स्लुइस गेट और शटर की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता कभी उप-मंडल-3 बरपाली में एसडीओ के पद पर तैनात था। इसलिए, यह सवाल ही नहीं उठता है कि शुरू से ही उसका राज्य को धोखा देने का कोई बेईमान आशय था। अतः, धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध सिद्ध नहीं होता है, जबकि आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अपराध के लिए यह साबित करने के लिए कुछ सबूत होने चाहिए कि अपीलकर्ता अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक षड़यंत्र रचने में सक्रिय रूप से शामिल था, जबकि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि षड़यंत्रकर्ताओं के बीच इस तरह के अवैध कृत्य को अंजाम देने के लिए सहमति थी।उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि सह-आरोपी एस.के. चौहान के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण पी.एस. पिंजानी (गवाह-13) द्वारा झूठी

परिवाद दर्ज कराई गई है, इसलिए अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है और उन्होंने अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए **उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों का उल्लेख किया है:अनिल कुमार बोस बनाम बिहार राज्य, 1974 (4) एससीसी 616, ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2014 (7) एससीसी 215, दिल्ली रेस क्लब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 (10) एससीसी 690, प्रवीण उर्फ सोनू बनाम हरियाणा राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1184 और शैलेश कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1462 दाण्डिक अपील सं 336/2018**

7. अपीलकर्ता सुरेश कुमार चौहान के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि

(क) विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा का आदेश देते समय अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया है।उन्होंने आगे यह भी कहा कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण और विकृत है क्योंकि वी.के. उपाध्याय (प्रत्यक्षदर्शी–1) ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि अपीलकर्ता अपराध करने में शामिल था।उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्षीशत्रुघ्न दास (प्रत्यक्षदर्शी–2), आर.के. ठाकुर (प्रत्यक्षदर्शी–3) और राजेंद्र भार्गव (प्रत्यक्षदर्शी–4) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।वह आगे प्रस्तुत करती है कि विद्वान विचारण न्यायालय साक्षीयो के साक्ष्यों को समझने में विफल रही है और उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया है, लेकिन आईपीसी की धारा 420 और 120–बी के तहत दोषी ठहराने में अवैधता की है, क्योंकि यह सवाल ही नहीं उठता है कि अपीलकर्ताओं का राज्य को धोखा देने का कोई बेईमान आशय था।उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अपराध साबित करने के लिए कम से कम कुछ सबूत होने चाहिए जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि अपीलकर्ता अन्य आरोपी व्यक्ति के साथ आपराधिक षड़यंत्र में शामिल थे, लेकिन अभिलेख में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलकर्ता किसी अवैध कृत्य में शामिल थे।

(ख) अपीलकर्ता सुरेश कुमार चौहान के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सह–अपीलकर्ता एस. के. स्टील्स द्वारा सामग्री निर्दिष्ट आयाम और गेज के अनुसार आपूर्ति की गई थी, जो गवाह संख्या 3 आर. के. ठाकुर के साक्ष्य से सिद्ध होता है, जिन्होंने सामग्री प्राप्त की थी और गवाह संख्या 12 द्वारा वर्नियर कैलिपर से गेज का कोई माप नहीं किया गया था और उन्होंने गेज को मापे बिना ही जांच की थी। इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई निविदा दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किया गया है कि स्लज गेट और करी शटर आईएसआई मानक के विनिर्देशों के अनुसार स्थापित किए जाने थे, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि सह–आरोपी द्वारा उसकी सह–आरोपी फर्म के माध्यम से निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति की गई थी।वह आगे यह तर्क देती है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, इसलिए आईपीसी की धारा 420 और 120–बी के तहत अपराध लागू नहीं होता है और वे निर्णय को अपास्त करने की प्रार्थना करती है।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों का उल्लेख करती है :--

ए.एम. मोहन बनाम राज्य, एसएचओ द्वारा प्रतिनिधित्व और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 339 में प्रकाशित, और सुशील सेठी और अन्य बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य, 2020(3) एससीसी 240 में प्रकाशित।

दाण्डिक अपील सं 345/2018

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता आनंद श्रीवास्तव का निधन हो गया और अब मृतक की पत्नी और पुत्र अपील का विरोध कर रहे हैं।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि निर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए स्लुइस गेट विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थे या निम्न गुणवत्ता के थे, अतः अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यदि आरोप को यथावत भी मान लिया जाए, तो भी अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 420 और 120–बी आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व था कि वह यह साबित करे कि अपीलकर्ता सह–आरोपियों के साथ मिलकर सामान्य आशय से षड़यंत्र रच रहा था और उसने अपराध में सहायता की थी।लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा अपने गवाहों के माध्यम से अपीलकर्ता की ओर से ऐसा कोई कृत्य या चूक दर्ज नहीं की गई है जो अपीलकर्ता की स्वतंत्र रूप से या अन्य सह–आरोपियों के साथ मिलकर, सामान्य आशय से, या सह–आरोपियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता या सहयोग प्रदान करके, धारा 420 और 120–बी आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए ऐसे अपराध को अंजाम देने में संलिप्तता को दर्शाता हो। उन्होंने आगे निवेदन किया कि धोखाधड़ी का तत्व, अर्थात् छल और प्रलोभन, सिद्ध नहीं हुआ है और उन्होंने अपीलकर्ता को दोषमुक्ति हेतु करने की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं 1539/2019

9. अपीलकर्ता टी.जे. थॉमस के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई निर्णायक सबूत न होने के कारण, विचारण न्यायालय ने उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है।उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और अभियोजन पक्ष का मामला अनुमानों और अटकलों पर आधारित है।उन्होंने आगे यह भी कहा कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता पर अपनी निर्दोषता साबित करने का भार डाल दिया है और विचारण न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 313 के प्रावधानों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा है और विचारण न्यायालय इस तथ्य को समझने में विफल रही है कि अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध में कोई भूमिका निभाई है, इसलिए आईपीसी की धारा 120–बी और 420 के तहत अपराध लागू नहीं होते हैं और उन्होंने अपीलकर्ता को दोषमुक्ति हेतु प्रार्थना की।

10. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का विरोध करते हुए कहा कि विचारण न्यायालय ने साक्षीयों के साक्ष्यों पर स्पष्ट रूप से विचार किया है और साक्ष्यों के आधार

पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने और ऐसी सामग्री के लिए अत्यधिक दरें वसूलने के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया है, जिसका उद्देश्य सरकार को भारी मात्रा में सार्वजनिक धन से धोखा देना था। इसलिए, अपीलकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 420 के साथ 120 बी के तहत अपराधों का आरोप लगाया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि प्रारंभ से ही अपीलकर्ताओं का आशय निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति की अनुमति देकर सरकार को धोखा देना और भारी मात्रा में सार्वजनिक धन हड़पना था, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय को अपीलकर्ताओं को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(i)(d) और 13(2)(d) के तहत भी दोषी ठहराना चाहिए था, अतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त करना अनुचित और अवैध है और इस न्यायालय द्वारा इसे अपास्त किए जाने के योग्य है।उन्होंने आगे निवेदन किया कि आईपीसी की धारा 420 और 120–बी के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध अभियुक्तों द्वारा दायर अपीलें खारिज कर दी जाएं और राज्य द्वारा दायर दोषमुक्त करने की अपील स्वीकार कर ली जाए तथा अभियुक्तों को दंड संहिता अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मैंने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

12. इन अपीलों में शामिल मुद्दा यह है कि क्या आईपीसी की धारा 420 और 120–बी के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(i)(d), (ii),(iii) और 13(2) के तहत अपराध करने के लिए अभियुक्तों का दोषमुक्त करना उचित है या नहीं?

13. अपीलों में शामिल विवाद्यक को बेहतर ढंग से समझने के लिए, इस न्यायालय के लिए आईपीसी की धारा 415, 420, 120–बी और लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार की धारा 13 को उद्धृत करना उचित है, जो इस प्रकार हैं:–––

धारा 415 के अंतर्गत छल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: – जो कोई भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर, कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति अपने पास रखने की सहमति देने के लिए प्रेरित करता है, या जानबूझकर उसे ऐसा कोई कार्य करने या न करने के लिए प्रेरित करता है जो वह धोखा न खाने की स्थिति में नहीं करता, और जिससे उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या संपत्ति में क्षति या हानि होती है या होने की संभावना होती है, उसे छल करने वाला कहा जाता है।

छल के अपराध का गठन करने के लिए तत्व इस प्रकार हैं:– धारा 420 छल तथा बेईमानी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करना।जो कोई भी छल करता है और इस प्रकार बेईमानी से पीड़ित व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करता है, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुहरबंद वस्तु, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, के पूरे या किसी भाग को बनाने, बदलने या

नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से सात वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।

धारा 120–बी। आपराधिक षड़यंत्र का दंड:––––

(1) जो कोई भी मृत्युदंड, [आजीवन कारावास] या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में भागीदार है, यदि इस संहिता में ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे अपराध को उकसाया हो।

(2) जो कोई भी उपर्युक्त दंडनीय अपराध करने के लिएआपराधिक षड्यंत्र के अलावा किसी अन्य आपराधिक षड्यंत्र में भागीदार है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 13 लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार।—

1[(1) किसी लोक सेवक को आपराधिक कदाचार का अपराध करने वाला कहा जाता है, —

13(1) एक लोक सेवक को आपराधिक कदाचार, का अपराध करने के लिए कहा जाता है,

13(1) घ, यदि वह –

I) भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(II) लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है;

(iii) लोक सेवक के पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी जनहित के कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है।

13(2) कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक दुराचार करता है, उसे कम से कम चार वर्ष की कारावास की सजा दी जाएगी, जो सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

14. यह पता लगाने के लिए कि क्या निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं को धारा 420 और 120–बी आईपीसी के तहत दोषी ठहराने का निर्णय वैध और न्यायसंगत है, इस न्यायालय को अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच करनी होगी।अभियोजन पक्ष के साक्षी आर.के. ठाकुर (पीडब्ल्यू–3), सब इंजीनियर, हसदेव बंगो नहर उप–मंडल–3 बरपाली ने प्रतिपरीक्षा में उल्लेख किया है कि कार्यालय में अपने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान रखे गए स्टॉक रजिस्टर (एक्स.पी–15) में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि यदि सामग्री निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो उसे ठेकेदार को लौटा दिया जाता है।उन्होंने बताया कि 15 वर्ष पूर्व आपूर्ति की गई सभी सामग्रियां अभी भी कार्यशील हैं।कंडिका–6 में, इस गवाह ने कहा है कि गेट और शटर हमें निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति किए गए थे और गेट और शटर की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पाई गई है।उन्होंने आगे कहा कि हमें आपूर्ति की गई सामग्रियां आईएसआई मानक के अनुरूप थीं और लघु उद्योग निगम द्वारा प्रस्तुत आपूर्ति आदेश के विनिर्देशों के अनुसार थीं।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि सभी डिजाइन मुख्य अभियंता और अधीक्षक अभियंता द्वारा अनुमोदित थे और जो भी आदेश जारी किया जाता है, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही निर्धारित होती है और डिजाइन के अनुसार मोटाई मानक होनी चाहिए।इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उन्होंने सामग्री की गुणवत्ता और आपूर्ति में अनियमितता के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है और विभाग को आपूर्ति की गई सभी सामग्रियों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है और जब उन्हें गेट और पुर्जे प्राप्त हुए, तो सामग्रियां मानकों के अनुसार सही पाई गईं।उन्होंने स्वीकार किया है कि विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई परियोजना का निरीक्षण विश्व बैंक के अधिकारियों ने किया था, लेकिन कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। यहां तक कि ऑडिट में भी दस्तावेजों के संबंध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शटर और स्लज गेट की मोटाई/गेज को वर्नियर कैलिपर्स से मापा जा सकता है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूरी परियोजना में नहर की गहराई 4.95 मीटर से अधिक नहीं है और नहर की गहराई छह मीटर नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के महाप्रबंधक राजेंद्र भार्गव (पीडब्लू–4) की विचारण न्यायालय में जांच की गई, जहां उन्होंने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उन्हें प्राप्त गेट ड्राइंग, डिजाइन और माप के अनुसार थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि एस. के. स्टील को जो भी कार्य आदेश दिया गया था, वह उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् जारी किया गया है तथा आम तौर पर कार्य आदेश प्राप्त करने के पश्चात् आपूर्ति हेतु स्थानीय विनिर्माण इकाई को प्राथमिकता दी जाती है।राजेश कुमार दिवाकर (पीडब्लू––5) ने स्वीकार किया है कि सभी रेखाचित्र और डिज़ाइन विभाग द्वारा नहीं दिए गए थे, बल्कि निर्माण का काम दिया गया था और उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि गेट का रेखाचित्र और डिज़ाइन मैकेनिकल सेंट्रल यूनिट भोपाल द्वारा तैयार किया गया था।

16. ओ.पी. तिवारी (पीडब्लू–7), कार्यकारी अभियंता ने कहा है कि प्रदर्शनी पत्र–37 हसदेव नहर में स्थापित किए गए गेट की रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित है और प्रदर्शनी पत्र–38 उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आपूर्ति किए गए शटर किस कंपनी के हैं।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि कौन से शटर किस कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए हैंआर.एस. श्याम ((पीडब्लू–8) ने कहा है कि उन्हें गेट मापने का अधिकार नहीं था और उन्होंने वर्नियर कैलिपर्स से गेट नहीं मापा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने गेट पर कोई विशिष्ट संख्या या निशान नहीं देखा है।

17. पी. एन. जनार्दन (पीडब्लू–11) सेवानिवृत्त प्रोफेसर मौलाना आजाद कॉलेज भोपाल, जिन्होंने दोनों डिजाइनों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है, ने रिपोर्ट तैयार की है जिसे आईएस विनिर्देश के साथ विनिर्देशन हेतु आधार पर लिया गया है।तुलना हेतु लिए रिपोर्ट पी. एस. पिंजानी, उद्योगपति (परिवादी) द्वारा भेजी गई थी।उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा डिजाइन डी–1 की परीक्षा गई थी जिसमें उनके द्वारा यह पाया गया था कि आई. एस. आई. प्रावधान पर कोई उचित विचार नहीं किया गया था तथा इसमें कमियां भी थीं।उन्होंने यह भी कहा है कि डिजाइन डी–2 का अध्ययन केंद्रीय यांत्रिक संस्थान द्वारा किया गया था जिसे वास्तविक तथा सुरक्षित पाया गया क्योंकि वह डिजाइन आई. एस. आई. कोड के अनुसार तैयार किया गया था।इस साक्षी से व्यापक रूप से प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें उसने स्वीकार परीक्षा है कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार या विभाग की ओर से कोई निर्देश नहीं था।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि एमसीटी भोपाल और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर समान स्तर के हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके अनुसार एमसीटी भोपाल की प्रतिष्ठा और स्तर रायपुर से कहीं अधिक है। उन्होंने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा दी गई रिपोर्ट सही है या गलत। उन्होंने यह भी कहा है कि डी–1 और डी–2 डिजाइन श्री पिंजानी द्वारा दिए गए थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट छह मीटर की नहर की गहराई पर आधारित है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि यदि नहर का सिर छोटा है तो गेट की चौड़ाई कम होगी तथा नहर का सिर बड़ा होगा तो गेट की चौड़ाई अधिक होगी तथा यह भी स्वीकार किया है कि यदि प्लेट पतली है तो क्षैतिज गद्दार की संख्या अधिक होगी।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी रिपोर्ट, डिजाइन डी–1 में, नहर का शीर्ष 4.5 मीटर तथा डिजाइन डी–2 में नहर का शीर्ष 6 मीटर है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सिर का अर्थ है पानी का सिर।उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने सामग्री पर कोई तुलना नहीं की है, परंतु केवल डिजाइन पर विचार किया है।उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि सामग्री आई. एस. आई. विनिर्देश के अनुसार होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. लघु उद्योग निगम में तकनीकी शाखा के महाप्रबंधक आर. डी. वैद्य (पीडब्लू–12) ने कहा है कि पहला क्रय आदेश केंद्रीय यांत्रिक इकाई को गया था तथा इनकार करने के पश्चात् , आदेश लघु उद्योग निगम को दिया गया था, जहां मूल्य लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसके पश्चात् आदेश केवल उस आपूर्तिकर्ता को दिया गया था जो पहले से ही निगम के साथ पंजीकृत है तथा प्राथमिकता स्थानीय आपूर्तिकर्ता को दी जाती है।उन्होंने आगे कहा कि वह भोपाल के निवासी हैं तथा एस. के. मैकेनिकल इंडस्ट्रीज दुर्ग जिला का है, इसलिए प्राथमिकता दी गई है।कंडिका–4 में इस साक्षी ने कहा है कि विभाग को ड्राइंग तथा डिज़ाइन नहीं दिया जाता है, वास्तव में निगम को निविदा कहा जाता है तथा संबंधित निर्माण तैयार ड्राइंग तथा डिज़ाइन जो विभाग द्वारा अनुमोदित होता है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि किसी भी विनिर्माण इकाई के पंजीकरण से पहले निगम को यह देखना होगा कि विनिर्माण इकाई आईएसआई मानक के अनुसार सामग्री का निर्माण कर रही है या नहीं।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट में यह पाया गया है कि स्लुइस गेट की आपूर्ति हेतु निगम द्वारा आदेश दिया गया है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि विभिन्न प्रकार के शटर लगाए गए थे जैसे

लकड़ी, लॉक शटर, करी शटर, गेट लीफ में एमएस शटर, वर्टिकल लिफ्टिंग गेट आदि। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पूरी परियोजना में 500 से अधिक विभिन्न प्रकार के द्वार लगाए गए थे तथा जब भी अधिकारियों ने उन्हें द्वार दिखाए हैं, उन्होंने उन्हें मौके पर ही देखा है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि निरीक्षण के समय, ई.ओ.डब्ल्यू. का इंस्पेक्टर भी उपस्थित था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट में उन्होंने गेट निर्माता का नाम नहीं देखा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि नहर में जो भी गेट लगाए गए थे, उन्हें उन्होंने केवल अपनी आँखों से देखा था, उनका भौतिक निरीक्षण उन्होंने स्वयं नहीं किया था।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने केवल टेप और वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया था, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स से माप में त्रुटि की संभावना रहती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इतनी बड़ी संरचना में 1 इंच से 2 इंच की त्रुटि वास्तविक त्रुटि है, जो अनुमेय सीमा है।उन्होंने यह भी कहा है कि चौड़ाई की माप हेतु, छेद किया जाना चाहिए तथा इसे वर्नियर कैलिपर्स में रखा जाना चाहिए।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि रिपोर्ट में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि उन्होंने केवल करी शटर या स्लूस गेट देखा है रिपोर्ट में उन्होंने करी शटर या स्लुइस गेट का उल्लेख नहीं किया है, केवल शटर का उल्लेख किया है।उन्होंने रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि सामग्री के मूल्यांकन का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वे निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि उनके द्वारा निरीक्षण किया गया शटर एसके स्टील्स का है और उन्होंने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी दी गई थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. पी.एस. पिंजानी (पीडब्ल्यू–13) ने कहा है कि एसके चौहान ने उनके खिलाफ परिवाद की है, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कराई है, यह तर्क देते हुए कि दोनों उद्योगों द्वारा सामग्री की गुणवत्ता देखी जानी चाहिए और उसके बाद ही कार्य आदेश दिया जाना चाहिए।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने विशिष्ट गेट या विशिष्ट आदेश की शिकायत नहीं की है, परंतु उनकी शिकायत पर सरकार ने जांच की है।साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि एस. के. चौहान ने अपनी शिकायत नहीं की होती तो वह सरकार को परिवाद नहीं करते है।

20. ए. आर. खान (पीडब्लू–18) अन्वेषण अधिकारी ने कहा है कि अन्वेषण के दौरान उसके द्वारा जब्ती की गई है, शटर तथा गेट पर एस. के. स्टील का कोई निशान नहीं है।एम. एल. दहारिया (पीडब्लू–27) ने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि विभाग में प्रचलित प्रथा यह है कि विनिर्माण उद्योग डिजाइन तैयार करेगा जिसे परिप्रेक्ष्य विभाग तथा अधिकृत विशेषज्ञ द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसके बाद लघु उद्योग निगम कार्य आदेश के माध्यम से कंपनी को जारी किया जाएगा तथा सामग्री सीधे विनिर्माण इकाई को भेजी जाएगी तथा उसके बाद निगम भुगतान जारी करेगा।

21. अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह काफी स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला एक्स पी/ –37 तथा एक्स पी/ 38 के रूप में रिपोर्ट पर आधारित है। प्रदर्श पत्र–38 के लेखक और प्रदर्श पत्र–38 के लेखक ओ.पी. तिवारी (पीडब्लू–7) ने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उन्होंने उस कंपनी के चिह्न और निर्माण वर्ष का उल्लेख नहीं किया है जिसने इसे निर्मित किया है, और यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पत्र–38 के

साथ संलग्न निरीक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार नहीं की गई है, हालांकि निरीक्षण उनकी उपस्थिति में किया गया था, लेकिन उन्होंने निरीक्षण रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

22. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता है कि अपीलकर्ताओं ने अलग मानक/गुणवत्ता वाले स्लुइस गेट और शटर की आपूर्ति के लिए कार्य आदेश दिए थे, जिनकी आपूर्ति एसके स्टील एंड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज दुर्ग द्वारा विभाग को की गई थी, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 420 के साथ धारा 120–बी और धारा 13 (i)(d)(ii)(iii) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके।अभियोजन पक्ष के साक्षीयों से, विशेष रूप से आर. के. ठाकुर (पीडब्लू–3), राजेंद्र भार्गव (पीडब्लू–4), राजेश कुमार दिवाकर (पीडब्लू–5) तथा ओ. पी. तिवारी (पीडब्लू–7), आर. एस. श्याम (पीडब्लू–8), पी. एन. जनार्दन (पीडब्लू–11), आर. डी. वैद्य (पीडब्लू–12) तथा पी. एस. पिंजानी (पीडब्लू–13) तथा उनके साक्ष्य से, यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में असमर्थ था कि अभियुक्तों द्वारा प्रदान की गई सामग्री घटिया गुणवत्ता की थी। या लघु उद्योग निगम द्वारा प्रस्तुत डिजाइन तक नहीं।पीडब्लू– 11 पी.एन. जनरन के साक्ष्य के माध्यम से यह भी अभिलेख पर लाया गया है कि नहर की पूरी परियोजना की गहराई 4.95 मीटर से अधिक नहीं है और उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने नहर की गहराई को छह मीटर से अधिक मानकर रिपोर्ट तैयार की है।साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि एसके स्टील को कार्य आदेश उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जारी किया गया था।साक्ष्य यह भी दर्शाता है कि आर.एस. श्याम (पीडब्लू–8) को गेट मापने का अधिकार नहीं था और उन्होंने वर्नियर कैलिपर्स से गेट नहीं मापा था। आर.डी. वैद्य (पीडब्लू–12) के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि नहर में विभिन्न प्रकार के शटर लगाए गए थे, जैसे लकड़ी के शटर, लॉक शटर, करी शटर, एमएस शटर, वर्टिकल लिफ्टिंग गेट आदि। कुल मिलाकर 500 से अधिक विभिन्न प्रकार के गेट लगे हुए थे और उन्होंने केवल अपनी आँखों से ही गेट देखे थे। गेट और शटर की चौड़ाई का वास्तविक माप लेने के लिए आवश्यक उपकरण से भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।साक्ष्य आगे यह स्थापित करते हैं कि 1 इंच से 2 इंच तक के इतने बड़े निर्माण में गलती वास्तविक गलती है जो अनुमेय सीमा के भीतर है तथा बिना छेद के चौड़ाई का माप अनुमेय नहीं है, इसलिए, यह स्पष्ट है कि एस. के. चौहान द्वारा अभिकथित रूप से आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए विभाग द्वारा कोई उचित माप नहीं किया गया था।

23. विचारण न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य तथा सामग्री से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने भी यह स्थापित करने हेतु कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं रखी है कि उनकी नहर परियोजना हेतु विभाग की वास्तविक आवश्यकता क्या है तथा अपीलार्थी द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री उस गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थी जिसकी आपूर्ति नहर परियोजना हेतु गेट तथा शटर के निर्माता द्वारा की जानी चाहिए।यह महत्वपूर्ण साक्ष्य या सामग्री अनिवार्य रूप से आई. पी. सी. की धारा 420,120–बी तथा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए सामग्री को साबित करने के लिए आवश्यक थी जो गायब हैं।ऐसी किसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामग्री या साक्ष्य के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है।इसके अलावा, पी.एस. पिंजानी (पीडब्लू––13) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्होंने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध झूठी परिवाद दर्ज कराई थी।अभियोजन पक्ष के साक्ष्य आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत अपराध के तीन घटकों, अर्थात् (i) किसी व्यक्ति को धोखा देना (ii) किसी व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना और (iii) इस प्रकार का प्रलोभन देते समय अभियुक्त का आपराधिक इरादा या बेईमानी का नीयत, को संदेह से परे साबित करने में असमर्थ हैं।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मारोआ, फसीहुद्दीन और**अन्य बनाम अड्डुगोडी पुलिस स्टेशन और अन्य द्वारा राज्य के मामले में** (2024 आई. एन. सी. 49 में रिपोर्ट किया गया) निम्नलिखित निर्णय दिया है:–––
12. यह सर्वविदित है कि हर छलपूर्ण कार्य गैरकानूनी नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे हर गैरकानूनी कार्य कपटपूर्ण नहीं है।कुछ कृत्यों को गैरकानूनी और कपटपूर्ण दोनों कहा जा सकता है, और ऐसे कृत्य ही आईपीसी की धारा 420 के दायरे में आते हैं। यह भी समझना आवश्यक है कि किसी तथ्य का कथन 'कपटपूर्ण' तब माना जाता है जब वह झूठा हो, और जानबूझकर या लापरवाही से इस इरादे से दिया गया हो कि कोई अन्य व्यक्ति उस पर अमल करे, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान या हानि हो।2 'इसलिए 'छल' में आम तौर पर एक पूर्ववर्ती छलपूर्ण कार्य शामिल होता है जो किसी व्यक्ति को किसी परंतु संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के किसी परंतु हिस्से को देने हेतु बेईमानी से प्रेरित करता है, जिससे प्रेरित व्यक्ति उक्त कार्य करने हेतु प्रेरित होता है, जो उन्होंने प्रलोभन के अलावा नहीं किया होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. आईपीसी की धारा 420 में प्रयुक्त 'संपत्ति' शब्द का स्पष्ट अर्थ है। स्वामित्व के अधीन और विनिमय योग्य मूल्य रखने वाले प्रत्येक प्रकार के मूल्यवान अधिकार या हित को सामान्यतः 'संपत्ति' समझा जाता है।यह किसी वस्तु पर अधिकार रखने, उसका उपयोग करने और उसका निपटान करने के व्यक्ति के अनन्य अधिकार का भी वर्णन करता है। आईपीसी स्वयं 'चल संपत्ति' को इस प्रकार परिभाषित करती है, "इसमें भूमि और पृथ्वी से जुड़ी वस्तुओं या पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुओं को छोड़कर, सभी प्रकार की मूर्त संपत्ति शामिल है।"जबकि अचल संपत्ति से सामान्यतः भूमि, भूमि से प्राप्त लाभ और पृथ्वी से जुड़ी या स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुओं का तात्पर्य है।

14. 'छल' के अपराध की रूपरेखा पर पूर्ण विचार करने के बाद, आइए अब इस मामले के तथ्यों पर गौर करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि:(i) अपीलकर्ताओं ने उत्तरवादी संख्या 2 को धोखा दिया है; (ii) उत्तरवादी संख्या 2 को बेईमान आशय से प्रेरित किया गया था; (iii) ऐसा प्रलोभन किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की सुपुर्दगी के लिए था; और (iv) इस कृत्य के परिणामस्वरूप, उत्तरवादी संख्या 2 को कुछ नुकसान या चोट पहुंची है।
15. इन सभी तत्वों का विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि क्या उत्तरवादी संख्या 2 ने

अपनी शिकायत में उपरोक्त बिंदु (i) से (iv) को प्रमाणित करने के लिए आरोप लगाए हैं।इसके अतिरिक्त, यह निर्धारित करने में भी सहायक होगा कि क्या मूल या पूरक आरोपपत्र इनमें से किसी भी तत्व को संबोधित करता है।

16. उत्तरवादी संख्या 2 के आरोपों का मुख्य बिंदु यह है कि अपीलकर्ताओं ने कथित तौर पर नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत पासपोर्ट आवेदन पर उनके हस्ताक्षर जाली बनाए। यदि यह आरोप सही भी माना जाए, तो यह निस्संदेह एक गैरकानूनी कृत्य होगा। हालांकि, जैसा कि पहले बताया गया है, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक गैरकानूनी कृत्य स्वतः ही 'छल' नहीं कहलाता है।इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता – पत्नी ने आपसी वैवाहिक विश्वास की अवधारणा का उल्लंघन किया है और अपने नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में प्रतिवादी संख्या 2 की अनधिकृत सहमति का दुरुपयोग किया है।हालांकि, यह एक प्रश्न बना हुआ है कि ऐसे कृत्य को 'धोखाधड़ी' कैसे कहा जा सकता है।दोनों अपीलकर्ताओं में से किसी के भी द्वारा नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट बनवाने के पीछे का मकसद छल–कपट नहीं था।इसके अलावा, नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट मिलने से अपीलकर्ता पत्नी को कोई लाभ नहीं हुआ और न ही प्रतिवादी संख्या 2 को कोई हानि या क्षति हुई। इसी प्रकार, अपीलकर्ता संख्या 2, जो अपीलकर्ता पत्नी का पिता है और बच्चे के लिए पासपोर्ट बनवाने में सहायता कर रहा था, उसे भी इस कार्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं मिला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस संदर्भ में, महत्वपूर्ण जांच उत्पन्न होती हैः नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से पासपोर्ट आवेदन पर जाली हस्ताक्षर करने का कार्य, उत्तरवादी संख्या 2 को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को छोड़ने के लिए कैसे प्रेरित करता है?स्थिति की जांच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त अधिनियम में उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा किसी भी संपत्ति के विभाजन के लिए प्रलोभन शामिल नहीं है।जिस संपत्ति का त्याग किए जाने का दावा किया जा सकता है, उसकी प्रकृति या उत्तरवादी संख्या 2 को हुई वास्तविक हानि, क्षति या चोट, यदि कोई हो, समस्त भी दिखाई नहीं दे रही है।इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है।

18. उत्तरवादी संख्या 2, नाबालिग बच्चे का जैविक पिता तथा प्राकृतिक अभिभावक, अपने पुत्र को पासपोर्ट देने के संबंध में इस तरह से तैनात है।इस अनुदान को नाबालिग बच्चे द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है।चूंकि नाबालिग बच्चे को हुआ लाभ प्रतिवादी संख्या 2 को किसी प्रकार की हानि, क्षति या चोट की कीमत पर नहीं है, इसलिए धोखाधड़ी के अपराध के लिए आवश्यक 'छल' और 'क्षति या चोट' दोनों ही मूलभूत तत्व इस तथ्यात्मक परिदृश्य में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।

19. इसके विपरीत, क्या अपीलकर्ता – पत्नी, जो बच्चे की प्राकृतिक माँ और प्राकृतिक अभिभावक है, पर अपने नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय 'बेईमानी' से कार्य करने का आरोप लगाया जा सकता है

पासपोर्ट एक अधिकृत दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को अपने मूल देश से बाहर यात्रा करने में सक्षम बनाता है। इस मामले में, पासपोर्ट नाबालिग बच्चे के पक्ष में जारी किया गया था, यह बात सर्वविदित है। चाहे वह उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा चुराया गया हो या गुम हो गया हो, वर्तमान चर्चा के लिए पूरी तरह से महत्वहीन है।नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट जारी करना कानून द्वारा प्रदत्त उसका अधिकार मात्र है। पासपोर्ट का उद्देश्य उसे अपनी मां के साथ लंदन जाने और अपने पिता के साथ रहने की सुविधा प्रदान करना है।हालांकि, इस बात का कोई आरोप या संकेत नहीं है कि पासपोर्ट बच्चे के कल्याण के लिए हानिकारक तरीके से प्राप्त किया गया था।विडंबना यह है कि पासपोर्ट प्राप्त करने का मूल उद्देश्य अपीलकर्ता – पत्नी और नाबालिग बच्चे – के लिए उत्तरवादी संख्या 2 के साथ एक साथ रहना आवश्यक था, जिसके निर्देशों पर कथित तौर पर पासपोर्ट प्राप्त किया गया था।इसके विपरीत, उत्तरवादी संख्या 2 के कार्यों ने ही नाबालिग बच्चे को अपने पिता की देखभाल और साथ पाने के अधिकार से वंचित किया है, क्योंकि पासपोर्ट कथित तौर पर उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा गुप्त रूप से ले लिया गया था।

20. इस मामले की पृष्ठभूमि और घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह एक वैवाहिक विवाद का केंद्र बिंदु है।उत्तरवादी सं. 2 द्वारा लगाए गए आक्षेप, भले ही उनके पास सच्चाई का एक अंश हो, प्रथम दृष्टया 'छल' के तत्वों को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं तथा इस प्रकार, आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपीलार्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप स्पष्ट होने चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ए.एम. मोहन बनाम राज्य, एसएचओ द्वारा प्रतिनिधित्व और अन्य के मामले में, 2024** में प्रकाशितआईएनसी 233 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :---

19. पुनरावृत्ति से बचने के लिए, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्तमान अपीलकर्ता पर प्रलोभन देने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।बल्कि, एफआईआर और आरोपपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता और परिवादी के बीच किसी भी प्रकार का कोई सीधा लेन–देन नहीं हुआ था। यदि इस विवरण को अक्षरशः स्वीकार किया जाए, तो यह पता चलता है कि आरोपी संख्या 1 के कहने पर परिवादी ने 20,00,000 रुपये की राशि अपीलकर्ता के खाते में स्थानांतरित की थी।उक्त राशि की प्राप्ति पर, अपीलार्थी ने तुरंत अभियुक्त संख्या 1 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया, जिसने इसके बाद परिवादी के पक्ष में जी. पी. ए. निष्पादित किया।उसपश्चात् वर्तमान अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं है तथा उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वह अभियुक्त संख्या 1, शिकायतकर्ता तथा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों मध्य हुआ है।मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि एफ. आई. आर. या आरोप पत्र, भले ही उसके अंकित मूल्य पर लिया गया हो, अपीलार्थी के लिए आई. पी. सी. की धारा 420 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए सामग्री का खुलासा नहीं करता है।

20. आई. पी. सी. की धारा 415 तथा 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए बेईमान प्रलोभन अनिवार्य है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, वर्तमान अपीलार्थी में इसका पूरी तरह से अभाव है।मामले के उस

दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखना और कुछ नहीं परंतु विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, जो 2025 आई. एन. एस. सी.** 1096 में प्रकाशित हुआ है, निम्नलिखित निर्णय दिया है:---

13. 'बेईमानी' और 'कपट' शब्दों की परिभाषा इस प्रकार है:

24. "बेईमानी"— जो कोई भी किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचाने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित हानि पहुँचाने के इरादे से कोई कार्य करता है, उसे वह कार्य "बेईमानी" से किया हुआ कहा जाता है।

25. "कपटपूर्ण"— यदि कोई व्यक्ति कपट के आशय से कोई कार्य करता है, तो उसे कपटपूर्ण से किया हुआ कहा जाता है, अन्यथा नहीं।धारा 23 आईपीसी सदोष लाभ/सदोष हानि को परिभाषित करती हैः

सदोष लाभ :–सदोष लाभ संपत्ति के गैरविधिक साधनों से लाभ है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति विधिक रूप से हकदार नहीं है।

सदोष हानि :–सदोष हानि संपत्ति के गैरविधिक साधनों से होने वाली हानि है जिसके लिए उसे खोने वाला व्यक्ति विधिक रूप से हकदार है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इन परिभाषाओं के संदर्भ में तत्वों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि छल का अपराध आकर्षित करने के लिए, किसी व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा झूठा बयान देना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को संपत्ति देने या ऐसा कार्य करने या न करने के लिए प्रेरित किया जा सके जो वह धोखे के बिना नहीं करता या नहीं करता है, और इस प्रकार उसे शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या संपत्ति में क्षति/हानि होने की संभावना हो।

14. डॉ. शर्मा के नर्सिंग होम बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य (1998) 8 एस. सी. सी. 745 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल छल अपने आप में छल नहीं होगा जब तक कि अन्य आवश्यक घटक, यानी बेईमान प्रलोभन स्थापित नहीं किया जाता है।इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :---

"दोनों विद्वान न्यायालयों ने अपने निष्कर्षों को केवल धोखे पर आराम दिया है तथा इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया कि क्या शिकायत तथा उसके साथ आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत अपराध के अन्य आवश्यक घटक, अर्थात् बेईमान प्रलोभन का खुलासा किया गया है।आईपीसी की धारा 24 में "बेईमानी" को में परिभाषित किया गया है कि इसका अर्थ जानबूझकर गलत तरीके से लाभ या हानि पहुंचाने के इरादे के रूप में परिभाषित किया गया है; और जब ऐसे इरादे से छल किया जाता है और संपत्ति की सुपुर्दगी कराई जाती है, तो आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध किया गया माना जा सकता है..."

15.हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2000) 4 एससीसी 168 में, इस न्यायालय ने दोहराया कि आईपीसी की धारा 415 दो अलग–अलग स्थितियों पर विचार करती है; पहली वह स्थिति जहां किसी व्यक्ति को बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के लिए प्रेरित किया जाता है, और दूसरी वह स्थिति जहां किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने या न करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो छल के बिना वह नहीं करता या नहीं करता है।पहली स्थिति में, प्रलोभन कपटपूर्ण या बेईमान होना चाहिए, जबकि दूसरी स्थिति में यह केवल जानबूझकर किया गया होना चाहिए।इसलिए, आशय ही अपराध का सार है।

21. उच्च न्यायालय इन सुसंगत विवाद्यक पर विचार करने में विफल रहा, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि दिनांक 25.04.2018 के डब्लूपीपी संख्या 14542/2018 के आदेश के विपरीत, आरोपपत्र में निर्विवाद आरोप धोखाधड़ी या छल के आवश्यक तत्वों को प्रकट नहीं करते हैं। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं, धारा 420 आईपीसी के तहत सीसी संख्या 303/2020 की कार्यवाही को निरस्त करते हैं और अपील को स्वीकार करते हैं।

28. अब उपरोक्त तथ्यात्मक और विधिक स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलकर्ताओं को तभी दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को पूर्णतः सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हों। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए और इस प्रकार का होना चाहिए कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि केवल अपीलकर्ता ने ही अपराध 'निश्चित रूप से' किया है, न कि यह कि अपीलकर्ताओं ने शायद/संभवतः अपराध किया हो।अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले में उपर्युक्त कसौटी पर खरा नहीं उतर सका।शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य,(1984) 4 एससीसी 116 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :

"स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए।किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।"साक्ष्यों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जिससे आरोपी की निर्दोषता के निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह सिद्ध हो कि मानवीय संभावना के अनुसार वह कृत्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।अपराध जितना गंभीर होगा, प्रमाण का मानक उतना ही उच्च होना चाहिए। किसी आरोपी पर संदेह के आधार पर दोष सिद्ध प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह कानूनी प्रमाण नहीं हो सकता है।जब साक्ष्यों के आधार पर दो संभावनाएं हों, एक अभियोजन पक्ष के पक्ष में और दूसरी आरोपी के पक्ष में, तो आरोपी निस्संदेह संदेह का लाभ पाने का हकदार है

यह सिद्धांत विशेष रूप से तब प्रासंगिक होता है जब परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के दोष को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इसी प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी असमर्थ है कि लोक सेवक अपीलकर्ताओं ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने लिए और किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त किया हो, या लोक सेवक के रूप में पद धारण करते हुए किसी व्यक्ति के लिए किसी सार्वजनिक हित के बिना कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त किया हो, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(i)(d), (ii)(iii) और 13(2) के तहत दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी हों। अतः, अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की बरी होना अवैध नहीं माना जा सकता है या इसमें कोई विकृति नहीं है जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा बरी करने की अपील की सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, क्योंकि कानून की सुस्थापित स्थिति यह है कि यदि निचली अदालत द्वारा अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त करने में लिया गया निर्णय अभियुक्तों के पक्ष में अधिक अनुकूल है, तो अपीलीय न्यायालय को सामान्यतः निर्णय को उलट कर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि कोई ठोस सबूत न हो जो पहले से ही अभिलेख में मौजूद हो और विचारण न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया हो। वर्तमान अपीलों में ऐसी स्थिति नहीं है।परिणामस्वरूप, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(i)(d)(ii)(iii) और 13(2) के तहत राज्य द्वारा दायर दोषमुक्त होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. उपरोक्त चर्चा और इस विषय पर कानून को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं सुरेश कुमार चौहान, टी.जे. थॉमस, आनंद कुमार श्रीवास्तव और पी.के. श्रीवास्तव को संदेह का लाभ देते हुए, आईपीसी की धारा 420 और 120–बी के तहत अपराध से दोषमुक्त किया जाता है और उनकी दोषसिद्धि के निर्णयों को इसके द्वारा अपास्त कर दिया जाता है।अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई अपीलें, जिनकी संख्या सीआरए संख्या 336 /2018, 1539/ 2019, 345 / 2018 और 347 / 2018 है, स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

सही/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur